

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 676

30 Shrawan, 1941(S)

Ranchi, Wednesday, 21st August, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 21st August, 2019

Notification No. 27/2019 – State Tax

- **S.O.** No. 69 Dated- 21st August, 2019— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.
- 2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl.	Quarter for which details in FORM	Time period for furnishing details in
No.	GSTR-1 are furnished	FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July –September, 2019	31 st October, 2019

- 3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2019 to September, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.
- 2. This notification shall be deemed to be effective from 28th June, 2019. [File.No Va Kar / GST / 01/ 2019]

By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar,Secretary-cum-Commissioner,

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 21 अगस्त, 2019

अधिसूचना संo. 27/2019- राज्य कर

एस. ओ. सं. 69 दिनांक 21 अगस्त, 2019-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए नीचे यथा वर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अधीन ऐसे प्ररूप जीएसटीआर-1 में देंगे, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयाविध तक प्रस्त्तकरने है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे देने के लिए समयावधि
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई-सितंबर, 2019	31 अक्टूबर, 2019

- 3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) एवं धारा 39 की उपधारा (1) क अधीन जुलाई 2019 से सितंबर 2019 माह के लिए सीमा पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में ब्योरों या विवरणी देने की समय, यथास्थिति, अधिसूचित की जाएगी ।
- 4. यह अधिसूचना 28 जून, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/01/2019] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> प्रशांत कुमार, सचिव-सह-आयुक्त
